(65)

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक............../2013 पुनरीक्षण – R 881-PBR/13

आवेदक/अपीलार्थी — बाबूलाल पुत्र श्री कोमल प्रसाद
जाति–ब्राम्हण आयु–61 वर्ष
निवासी मो0 नयापुरा सिरोंज जिला–विदिशा

–विरूद्ध –

अनावेदक/प्रतिप्रार्थीगण (1) मोहिनी शर्मा पुत्री श्री नारायण प्रसाद शर्मा
आयु–41 वर्ष पत्नी डॉ. शिवप्रसाद शर्मा
निवासी मो. नयापुरा सिरोंज जिला विदिशा
म0प्र0 एवं पुलिस लाईन बूंदी (राजस्थान)

(2) मनोज शर्मा पुत्र श्री सुंदरलाल शर्मा
आयु–41 वर्ष निवासी रोड़ क्रं0 2 न्यू जेल
रोड़ करोद भोपाल

(3) लक्ष्मी बाई शर्मा पुत्री श्री बाबूलाल शर्मा
आयु–71 वर्ष, निवासी–टीला जमालपुरा
शाहजहानाबाद भोपाल

(4) दुर्गा बाई पत्नी स्व. श्री मदनलाल शर्मा
आयु–66 वर्ष

(5) सुदेश शर्मा, आयु–41 वर्ष

(6) अमरीश शर्मा आयु–367वर्ष

(7) संदीप शर्मा, आयु–33 वर्ष

Vinod Shrivastava Adv. 4-3-013

360 3/3/2013

क्रं0 5, 6, 7 पुत्रगण स्व0 मदनलाल शर्मा निवासीगण क्रं0 4 लगायत 7 आशीर्वाद किराना जनरल स्टोर्स अप्सरा कॉम्प्लेक्स, अप्सरा टॉकीज के पास, रायसेन रोड़ भोपाल

(8) मुन्नी शर्मा पुत्री श्री नारायण प्रसाद शर्मा आयु–51 वर्ष, पत्नी कान्ताप्रसाद निवासी बूंदी (राजस्थान) मैरिज गार्डन के सामने गणेशबाग के पास बूंदी (राजस्थान)

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50(1) **मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–02–2013 जो कि प्रकरण कमांक 143 अपील/2011–12 में अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध।**

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थी का निम्नलिखित निवेदन है कि :–

(1) यहकि, अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन श्रीमान् नायव तहसीलदार सिरोंज के न्यायालय में कस्वा सिरोंज स्थित भूमि सर्वे क्रं0 2032 रकवा 0.013 हे0, 2033 रकवा 0.240 हे0, 2034 रकवा 0.270 हे0, 2039 रकवा 0.177 कुल सर्वे क्रं0 4 कुल रकवा 0.709 हे0 का वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रकाशन पश्चात् आपत्ती प्राप्त न होने पर साक्ष्यांकित करते हुए कार्यवाही की गई किन्तु बारसानों के बिन्दु पर आवेदन अमान्य किये जाने पर आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के सम्मुख की

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 881 - PBR / 13 जिला- विदिशा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष रीडर	